



जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह


ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-4729 दिनांक 04.06.2007 एवं संकल्प संख्या-6440 दिनांक 17.07.2012, पत्रांक-6718 दिनांक 28.07.2012 संकल्प सं0-(N) 848 दिनांक 21.03.2017 एवं पत्रांक-(N) 1786(अनु0) दिनांक 12.06.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद पर आपको संविदा आधारित एवं एकमुश्त मासिक परिलब्धि पर अगले एक वर्ष तक के लिए रखा जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची निम्नवत है :-


मेधा क्रमांक	Personal ID	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	कोटि
1	2	3	4	5	6	7
अनारक्षित कोटि						
1	DRDA90002969	RAVI RAJ	LAL BIHARI PRASAD	AT- BARATAND, PO-TARA, PS- JAMUA, DIST- GIRIDIH , STATE- JHARKHAND, PIN - 815318	11-01-1997	BC2
2	DRDA90002098	DILEEP KUMAR	MANGAR MAHTO	VILL- CHACHGHARA POST- JERUADIH P/S- JAMUA DIST- GIRIDIH PINCODE-(815318) , JHARKHAND	14-02-1995	BC2
3	DRDA90001821	GULAM ABDUL QUADIR ANSARI	MD TAIYAB HUSSAIN ANSARI	AT- BUXIDIH P.O- CHAITADIH DIST- GIRIDIH JHARKHAND PIN NO- 815302	10-02-1992	BC1
अत्यंत पिछड़ा वर्ग						
1	DRDA90002599	MANISH KUMAR GUPTA	DEEPAK KUMAR GUPTA	AT-RAMNAGAR POST- GALAGI, GIRIDIH, JHARKHAND	28-11-1999	BC1
अनुसूचित जनजाति						
1	DRDA90001030	VINOD KUMAR HANSDA	MOSO HANSDA	AT-BARMASIYA, PO-FULCHI, PS-TARATAND, DIST-GIRIDIH, PINCODE- 815312	04-06-1992	ST


सेवा शर्तें :-

- तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद पर नियुक्ति संविदा आधारित पूर्णतः अस्थायी होगी।
- तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु एकमुश्त परिलब्धि 17520/- (सत्रह हजार पाँच सौ बीस) रु0 प्रति माह निर्धारित है।

3. संविदा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष के उपरांत नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
4. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गिरिडीह जिला के किसी प्रखण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।
5. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।
6. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा में आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह के लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।
8. यह नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षोपरांत उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
9. योगदान देने के समय अभ्यर्थी अपना मूल आचरण प्रमाण पत्र, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र, दहेज न लेने-देने का घोषणा पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित देना आवश्यक है।



निदेशक,
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,
डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।



उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
नियुक्ति समिति (मनरेगा),
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....1527/अभि० गिरिडीह, दिनांक.....०८/०९/२०२०

प्रतिलिपि:- सभी सफल अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक ०८.०९.२०२० तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।


निदेशक, ०८/०९/२०२०
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,
डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।


उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।


उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
नियुक्ति समिति (मनरेगा),
गिरिडीह।